

शस्त्र अनुज्ञापत्र पर कारतूस मात्रा वृद्धि करने हेतु आवेदन पत्र

1. नाम आवेदक
2. पिता का नाम
3. वर्तमान पता मय पुलिस स्टेशन का नाम
4. शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या
तथा जारी होने वाले जिले का नाम
5. अनुज्ञापत्र क्षेत्र
6. दर्ज शस्त्रों की किस्म
एवं नम्बर
7. अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि
8. स्वीकृत कारतूस मात्रा (एक समय में)
9. स्वीकृत कारतूस मात्रा (एक वर्ष में)
10. चाही गई वृद्धि की मात्रा (एक समय में)
11. चाही गई वृद्धि की मात्रा (एक वर्ष में)
12. कारतूस मात्रा वृद्धि के कारण
13. गत 3 वर्षों में क्रय किये गये कारतूसों का वर्षवार विवरण

नोट:- मूल अनुज्ञापत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर आवेदक

कार्यालय कार्यवाही

1. कारतूस मात्रा बढ़ाये जाने का कारण सन्तोष प्रद है। हां/नहीं
2. यदि हां तो आवेदक के अनुज्ञापत्र पर एक समय में /एक वर्ष में कारतूसों की मात्रा बढ़ाई जाती है।

अथवा

आवेदक को जारी अनुज्ञापत्र समस्त भारतवर्ष हेतु मान्य है अतः कारतूस मात्रा एक समय में / एक वर्ष में वृद्धि हेतु गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को अनुशंषा सहित भिजवाया जाना उचित होगा।

शाखा लिपिक शाखा प्रभारी प्रभारी अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट

अनुज्ञापत्र पर कारतूस मात्रा बढ़ाई जाकर/स्वच्छ पत्र उपरोक्तानुसार स्वीकृति उपरान्त हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

शाखा लिपिक शाखा प्रभारी प्रभारी अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट